UPJS010052512022

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), झांसी।**

**उपस्थित- अंजना, एच०जे०एस०**

**JO Code- UP6138**

दाण्डिक अपील सं०- 80/ 2022

बाल अपचारी X पुत्र श्री प्रियाशरण जोशी, उम्र 16 वर्ष, निवासी- ग्राम लहार हवेली, थाना पण्डोखर, जिला दतिया, म०प्र०, जरिये संरक्षक पिता प्रियाशरण जोशी पुत्र हरीमोहन जोशी, निवासी ग्राम लहार हवेली, थाना पण्डोखर, जिला दतिया, म०प्र० ।

. . . . . . . . . . अपीलार्थी।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार।

. . . . . . . . . . रिस्पोन्डेण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा- 101 किशोर बोर्ड न्याय अधिनियम 2015

थाना- समथर, जिला- झांसी।

मु०अ०सं०- 89/ 2022

**निर्णय**

1- उपरोक्त अपील विरूद्ध आदेश दिनांक- 29. 09. 2022 जो अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान किशोर न्याय बोर्ड, झाँसी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 37/ 2022 सरकार बनाम बाल अपचारी X, मुकदमा अपराध सं०- 89/ 2022, अं०धारा- 307, 34 भा०दं०सं०, थाना- समथर, जिला- झांसी में पारित करते हुये किशोर अपचारी/ अपीलार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी/ किशोर अपचारी जरिए संरक्षक पिता प्रियाशरण जोशी पुत्र हरीमोहन जोशी, निवासी ग्राम लहार हवेली, थाना पण्डोखर, जिला दतिया, म०प्र० द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

2- अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18- 06- 22 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष महाराज सिंह मय हमराहीगण, मय सरकारी वाहन थाना हाजा से वहवाले रपट नं० 07 समय 03. 52 AM पर विनावर देखरेख क्षेत्र गस्त, तलाश वांछित वारण्टी अपराधीगणो के रवाना होकर थाना क्षेत्र के पण्डोखर तिराहा पर मामूर था व आपस में खडे होकर हाल ही में घटित पेट्रोल पम्प मैनेजर के साथ लूट की घटना के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर रहे थे तभी मुखविर खास ने आकर सूचना दी कि पेट्रोल पम्प के मैनेजर के साथ जिन लोगो द्वारा घटना की गई थी वह लोग दतावली रोड पर मुकेश दीक्षित के ट्यूबेल के पास खड़े होकर आपस में [illegible]से के

Digitally signed by ANJANA
Date: 2022.11.14 17:22:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बटवारे को लेकर बातचीत कर रहे है, इस सूचना पर विश्वास कर मय मुखविर के थानाध्यक्ष मय हमराह पुलिस बल मुखविर के बताये स्थान की ओर चल दिये लगभग 50-60 कदम दूर पहले गाडी चालक की सुपुर्दगी मे देकर मय पुलिस बल के झाड़ियों में छिपते छिपाते मुखविर ने रोड पर खडे व्यक्तियो की ओर इशारा करके बताया कि वह वही व्यक्ति हैं, जिन लोगो ने पेट्रोल पम्प पर मैनेजर के साथ लूट की थी व मुखविर वहाँ से चला गया तब उन पुलिस वाले छिपते छिपाते जैसे ही उनके करीब पहुँचे तो उन लोगो को पास आता देखकर उनमे से दो व्यक्तियो ने अपनी बायें पैण्ट से तमंचा निकालकर उन पुलिस वालो के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया। दूसरे ने तमंचे से फायर किया तो मिस हो गया वे लोग बाल बाल बचे उक्त सभी लोग अपनी गाडियों को छोड़कर पीछे की ओर भागने लगे, जिससे पुलिस वालो ने एक बारगी घेरकर दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर चार व्यक्तियो को पकड़ लिया व एक व्यक्ति भागने में सफल रहा पकडे गये व्यक्तियो की क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शिवम यादव पुत्र मोहन यादव बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 315 वोर चालू हालत में मिला व पैंट की बायी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये व दाहिनी जेब से सिल्वर रियल मी कम्पनी का मोबाइल है, जिस पर मो० नं० 8403205484 का सिम पड़ा हुआ है जो पीठ पर पिट्ठू बैग नीले कलर का टाँगे हुए है जिसको खोलकर देखा गया तो सफेद कलर का कैरी बैग जिस पर लाल कलर से मुस्कान गारमेन्ट अग्गा बाजार समथर प्रिन्ट है उसी कैरी के अन्दर नोट तीन लाख पचतर हजार रुपये बरामद हुए। जिसने बताया कि ये पैसा उसका व राहुल, सागर के हिस्से का उसके पास है। शेष पैसा उसने सबको दे दिया है। व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम साहिल दोहरे पुत्र रामचरन बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर , बायी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर, दाहिनी जेब से एक लाख रूपये बरामद हुया व मो०नं० 6260298843 का सिम लगा हुआ है व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम रहीश यादव उर्फ बन्टी पुत्र राजकुमार बताया, जिसकी दाहिनी जेब से एक लाख रुपये बरामद हुआ। व चौथे व्यक्ति ने अपना नाम बाल अपचारी X पुत्र प्रियाशरण जोशी निवासी लहार हवेली थाना पण्डोखर जिला दतिया (म०प्र०) उम्र करीब 17 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से बायी जेब से पचास हजार रुपये बरामद हुआ व दाहिनी जेब से एक अदद मो० कम्पनी Infinix HoT है, जिसमें 6260298843 न० का सिम लगा हुआ है। उक्त सभी लोगो से बारी-बारी कडाई से पूछतांछ की गई तो शिवम यादव ने बताया कि भागा हुआ व्यक्ति सागर पुत्र अर्जुन, जो कि घटना वाले दिन उन सब साथ में था। वे चारो लोग पूर्व से ही बाल अपचारी की सूचना मिलने का इंतजार कर रहे थे है जैसे ही पेट्रोल पम्प का मैनेजर उन लोगों के आगे निकला तो वे लोग पीछे से जाकर उसका बैग छीनकर भाग गये थे। आज वे लोग वह पैसा आपस में बाटने के लिए एकत्र हुये थे। मौके पर शिवम यादव व साहिल

उपरोक्त से तमंचा कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो नही दिखा सके। उक्त व्यक्ति अपनी गलती की क्षमा माँगने लगे। तत्पश्चात कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 07. 30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

3- उक्त मामले में अपीलार्थी/ अपचारी जरिए संरक्षक पिता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वह बाल अपचारी घोषित किया जा चुका है। उसने तथाकथित धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसका किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में आने की अथवा बाल अपचारी के किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की कोई संभावना नहीं है। उसे जमानत पर छोड़े जाने से न्याय के कोई उद्देश्य विफल नहीं होंगे। प्रार्थी बाल अपचारी का पिता/ नैसर्गिक संरक्षक बाल अपचारी की शिक्षा- दीक्षा का पूर्ण ध्यान रखेगा। बाल अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत पर छूटने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। अतः बाल अपचारी को दौरान प्रकरण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी/ विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, झाँसी की सामाजिक अन्वेषण आख्या एवं अभियोजन पक्ष के विरोध में किये गये तर्कों के आधार पर बाल अपचारी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील योजित की गयी।

5- अपील के अनुसार, बाल अपचारी बेकसूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 29. 09. 2022 पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है। सम्बन्धित मु०अ०सं० 84/ 2022 अं० धारा 392, 411 ता०हि० में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 29. 09. 2022 को स्वीकार किया जा चुका है। उपरोक्त मुकदमा पुलिस मुठभेड़ का नो इंजरी केस है। उपरोक्त मु०अ०सं० 89/ 2022 के सह- अभियुक्तगण साहिल दोहरे, रहिश यादव उर्फ बंटी, शिवम यादव एवं सागर उर्फ साजन की जमानत न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षेत्र), झाँसी द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29. 09. 2022 अवैध है तथा अपास्त होने योग्य है। उसने तथाकथित धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए उसको उपरोक्त मामले में झूंठा फंसाया है। उसका किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में आने की अथवा बाल अपचारी के किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की कोई संभावना नहीं है। उसको जमानत पर छोड़े जाने से न्याय के कोई उद्देश्य विफल नहीं होंगे। जमानत पर छोड़े जाने के बाद बाल अपचारी का पिता उसकी शिक्षा- दीक्षा का पूर्ण प्रबन्ध रखेगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत पर छूटने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। बाल अपचारी X दिनांक

18. 06. 2022 से हिरासत में है। अतः किशोर अपचारी के संरक्षक पिता की ओर से अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि न्यायालय किशोर बोर्ड झांसी द्वारा पारित जमानत खारिज आदेश दिनांक- 29. 09. 2022 को निरस्त कर किशोर अपचारी को जमानत मुचलके पर छोड़े जाने हेतु आदेश करने की प्रार्थना की है।

6- उक्त अपील का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट), झाँसी द्वारा तर्क किया गया कि अपचारी पर अन्य सह- अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अपचारी को यदि जमानत पर छोड़ दिया गया तो उसके पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलग्न होने की सम्भानवना है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपचारी का जमानत प्रार्थनापत्र उचित आधारों पर खारिज किया गया है। अतः उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7- अपचारी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट), झाँसी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि अपचारी बाल अपचारी X को किशोर घोषित किया जा चुका है। अतः उसके द्वारा कारित किसी भी अपराध के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 के प्राविधान लागू होंगे। उक्त धारा के प्राविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोर द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को जमानत के स्तर पर नहीं देखा जायेगा, बल्कि उक्त धारा के अनुसार सामान्य नियम किशोर को जमानत पर रिहा किये जाने का है, जिन आधारों पर किशोर को जमानत देने से इन्कार किया जायेगा। वे धारा 12 के परंतुक में वर्णित हैं। धारा 12 का परंतुक इस प्रकार हैः-

‘‘परंतु ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार छोड़ा नहीं जायेगा, जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह सम्भाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक व मानसिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा या उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा और बोर्ड जमानत देने से इन्कार करने के कारणों को और विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा।"

9- इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त परंतुक में वर्णित परिस्थितियों में ही किशोर अपचारी को जमानत पर छोड़े जाने से इंकार किया जा सकता है।

10- पत्रावली पर इस संबंध में बाल संरक्षण अधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जाँच आख्या कागज संख्या- 23 ए/ 1 लगायत 23 ए/ 9 उपलब्ध है। उक्त आख्या के संपूर्ण अवलोकन से स्पष्ट है कि अपचारी के मित्र उसी के आयु वर्ग के हैं। बालक का पड़ोसियों के प्रति प्रेक्षण अच्छा व अनुशासित

है। बालक के परिवेश का माहौल सकारात्मक है। उक्त आख्या में यह वर्णन नहीं है कि यदि किशोर को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा। उक्त आख्या में यह कहा गया है कि बालक की आयु व समाज से जुड़ने की उसकी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बालक को उचित देखरेख एवं संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्वास की अनुशंसा की जाती है। उक्त आख्या के अन्त में पंचनामे के अन्तर्गत यह कहा गया है कि बालक व्यवहार कुशल व अनुशासित है व किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि में सम्मिलित नहीं रहता, न ही किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करता है। ग्रामजनों द्वारा गाँव का माहौल भी सकारात्मक बताया गया। बाल अपचारी के विरुद्ध अन्य सह- अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप है। घटना में किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है। कथित घटना एवं बरामदगी का जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। किशोर अपचारी दिनांक 18. 06. 2022 से बाल सम्प्रेक्षण गृह, ललितपुर में निरुद्ध है। पुलिस आख्यानुसार बाल अपचारी X के विरुद्ध उक्त मुकदमे के अतिरिक्त मु०अ०सं० 84/ 2022 भी थाना समथर पर पंजीकृत होना बताया गया है, जिसमें बाल अपचारी की किशोर न्यायबोर्ड द्वारा जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त मु०अ०सं० 89/ 2022 से सम्बन्धित सह- अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षेत्र अधि०), झाँसी द्वारा की जा चुकी है। बाल संरक्षण अधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया, जिससे अपचारी को जमानत पर छोड़े जाने पर उसको नैतिक, मानसिक व शारीरिक रूप से खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। बाल अपचारी X के पिता द्वारा उसके किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में आने की अथवा बाल अपचारी के किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की कोई संभावना न होने का कथन किया गया है तथा उसको जमानत पर छोड़े जाने के बाद बाल अपचारी का पिता द्वारा उसकी शिक्षा- दीक्षा का पूर्ण प्रबन्ध रखने का कथन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016(94) SCC पेज 767 इलाहाबाद, उच्च न्यायालय** एवं **शब्बीर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य 2015(1) JCRC पेज 328 इलाहाबाद उच्च न्यायालय** का अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था में मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि अभिलेख एवं प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से किशोर अपचारी के विरुद्ध किसी ज्ञात व अज्ञात अपराधी सहचर्य में जाने व उसके नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरा न हो, तो अपचारी की जमानत स्वीकार की जानी चाहिए। तथा विधि व्यवस्था **मुकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2015(2) JIC पेज 740(2011)** का अवलोकन किया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया है कि

किशोर को जमानत देना एक नियम है तथा जमानत खारिज करना एक अपवाद। किशोर के कल्याण को इस आशा के साथ विचार में लिया जाना चाहिए कि वह जमानत पर छूटने पर वह स्वयं को सुधारेगा। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **2015( 88) ACC पेज 710 इलाहाबद हाईकोर्ट लखनऊ बैंच सुनील कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया है कि अपराध की गंभीरता की गुरूत्तरता किशोर की जमानत को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है।

इस प्रकार समस्त तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोर अपचारी X का मामला धारा 12 के परन्तुक के अन्तर्गत नहीं आ रहा है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी/ बाल संरक्षण अधिकारी की उक्त आख्या का उचित प्रकार से निर्वचन नहीं किया गया है। अतः उक्त परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश यथावत बनाये रखने योग्य नहीं है। बाल अपचारी X पुत्र श्री प्रियाशरण जोशी को उचित शर्तों के अधीन उसके पिता/ संरक्षक प्रियाशरण जोशी पुत्र हरीमोहन जोशी की सुपुर्दगी में देते हुए जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

**आदेश**

दाण्डिक अपील सं०- 80/ 2022 स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड, झाँसी द्वारा सरकार बनाम बाल अपचारी X, मुकदमा अपराध सं०- 89/ 2022, अं०धारा- 307, 34 भा०दं०सं०, थाना- समथर, जिला- झांसी में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 29. 09. 2022 अपास्त किया जाता है तथा बाल अपचारी X पुत्र श्री प्रियाशरण जोशी को जमानत/ सुपुर्दगी में रिहा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि किशोर अपचारी की सुपुर्दगी पिता/ संरक्षक प्रियाशरण जोशी पुत्र हरीमोहन जोशी को नियमानुसार नियम व शर्त लगाते हुए दी जाये। मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजी जाये।

दिनांक- 14. 11. 2022

**( अंजना)**
विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट),
जनपद- झाँसी।

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 14. 11. 2022

**( अंजना)**
विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट),
जनपद- झाँसी।

देवांशी सक्सैना, आशुलिपिक।